उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–8 संख्या– **३०**ने**५** / पॉच–8–2017–रिट(<u>197)</u> / 2016 लखनऊ : दिनांक : **७३ जूर्स** 2017

कार्यालय–ज्ञाप

डा० संध्या गुप्ता (वरिष्ठता क्रमांक—11682) चिकित्साधिकारी जिला महिला चिकित्सालय, उरई जालौन द्वारा कनिष्ठ के सापेक्ष लेवल—2 के पद पर पदोन्नित करने हेतु मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका संख्या—30148/2016 डा० संध्या गुप्ता बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी। रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12. 2016 को आदेश पारित किया गया, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:—

The petitioner who is a Medical Officer has filed this petition with the prayer seeking direction to the respondents to consider her candidature for promotion to the next higher pay-scale of Rs. 15,600-39,100/- with Grade Pay of Rs. 6600/-.

It has been stated by the petitioner that several incumbents junior to her have been promoted, however, her candidature has not been considered.

It appears that Director General, Medical & Health Services, U.P., Lucknow had required certain information to be sent in respect of the petitioner for certain purposes, in compliance to which Chief Medical Superintendent, District Women Hospital, Orai, District Jalaun has written a letter dated 14.03.2014 giving details of the petitioner in which her initial date of joining has been shown to be 28.08.1990, pursuant to which she is said to have resumed her charge w.e.f. 06.09.1990. It has also been averred in the writ petition that she was regularized on 17.07.2004.

Be that as it may, if the incumbents junior to the petitioner has been promoted, there is no reason why the candidature of the petitioner has not been considered for promotion.

In the aforesaid view of the matter, this writ petition is finally disposed of with the direction to the respondents to consider the candidature of the petitioner for promotion in the next higher pay-scale of Rs. 15,600/--39,100/- with Grade Pay of Rs. 6600/-. The case of the petitioner shall be considered in accordance with Rules and Law applicable thereto in the next Departmental Promotion Committee which may be held by the respondents.

2— मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21.12.2016 के समादर में डा० संध्या गुप्ता को उनके किनष्ठ के सापेक्ष पदोन्नित पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 29.05.2017 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गई। चयन समिति द्वारा डा० संध्या गुप्ता को उनसे आसन्न किनष्ठ के सापेक्ष नोशनल प्रोन्नित एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नित की संस्तुति की गई है। अतः चयन समिति की संस्तुति के कम में डा० संध्या गुप्ता को उनसे आसन्न किनष्ठ की प्रोन्नित की तिथि 14.06.2012 से विषठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रू० 15600—39100 ग्रेड—पे रू० 6600) के पद पर नोशनल प्रोन्नित एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नित प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

वीo हेकाली झिमोमी, सचिव। संख्या- 3०75 (1)/पॉच-8-2017-तद्दिनांकः प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद। 1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ को रिट याचिका 2. ुं संख्या—30148/2016 डा० संध्या गुप्ता बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 के संदर्भ में। महानिदेशक / निदेशक (प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ। 3. अपर निदेशक(कार्मिक / गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ। 4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण, झांसी मण्डल झांसी। 5 ्रमुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, उरई जालौन। 6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन। 7. डा० संध्या गुप्ता, चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला 8 महिला चिकित्सालय, उरई जालौन) गार्ड फाईल कम्प्यूटर प्रकोष्ट। 9.

(शिवगोपाल सिंह) अनु सचिव।